संख्या-29/2025-369-22-4-2025-1877839

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कारागारों पर स्थापित मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियोवॉल) के उच्चीकरण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति एवं उपकरणों की आपूर्ति उपरान्त भुगतान की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14991/आधु-1/वीडियोवॉल-अपग्रेडेशन/24-25, दिनांक 27-03-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रथम चरण की विषयांकित कार्ययोजना का कार्य दिनाँक 27.03.2025 तक संतोषजनक रूप से पूर्ण हो जाने की दशा में अवशेष धनराशि रू0 2,02,89,518/- की वित्तीय स्वीकृति एवं भुगतान की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कारागारों पर स्थापित मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियोवॉल) के उच्चीकरण हेतु धनराशि रू0 339.809 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अग्रिम के रूप में 40 प्रतिशत की धनराशि रू0 135.9236 लाख का भुगतान किये जाने सम्बन्धी आदेश शासनादेश संख्या-15/2025-1123-22-4-2024-1877839,दिनांक 07-03-2025 द्वारा निर्गत किया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश की कारागारों पर स्थापित मिनी वीडियोवॉल एवं 01 कारागार मुख्यालय पर स्थापित सुपर वीडियोवॉल को प्रथम चरण के अन्तर्गत Upgradation of Videowall Project (सर्वर/वीडियोवॉल) के उच्चीकरण हेतु अवशेष धनराशि **रू0 202.89518 लाख (रूपया दो करोड़ दो लाख नवासी हजार पाँच सौ अठारह मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति एवं उक्त धनराशि का भुगतान किए जाने की अनुमति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों</u>

(1) शासनादेश संख्या-15/2025-1123-22-4-2024-1877839,दिनांक 07-03-2025 एवं शासनादेश संख्या-1123(1)/22-4-2024-1877839, दिनांक 12-03-2025 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) महानिरीक्षक, कारागार क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे।

(3) उपकरणों का क्रय स्वीकृत धनराशि की सीमा में किया जायेगा तथा किसी प्रकार का विचलन नही किया जायेगा।

(4) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 एवं तत्संबंधी संशोधित आदेशों में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,02,89,518 (रुपये दो करोड़ दो लाख नवासी हजार पाँच सौ अठारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-29/2025-369-22-4-2025-1877839, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।